तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलांट । श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पो0 **आदेश** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं.1 पांच्याराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर भरतपुर के समक्ष कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत विरूद्ध अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखंड अधिकारी भरतपुर ने आदेश दिनांक 23–9–72 द्वारा आराजी खसरा नंबर 872 मे से रकबा 2 बीधा का आवंटन वर्तमान अपीलांट् सं.1 दीपचंद को किया गया है जबकि अपीलांट दीपचंद बरवक्त आवंटन सरकारी कर्मचारी था तथा सरकारी कर्मचारी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता। अतः उसका आवंटन खारिज किया जावे। जिला कलेक्टर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12–2–02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलांट के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2–4–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने विवादित भूमि का आवंटन अपीलांट् के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पक्ष में विधिवत् किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आवंटी को सरकारी कर्मचारी मानते हुये आवंटन निरस्त किया है जबकि यह तथ्य पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। क्योंकि आवंटन नियम 11 व नियम 14 (8)(सी) में संशोधन राज्य सरकार द्वारा 1983 में किया गया था। इस प्रकार यह प्रावधान अपीलांट पर लागू नहीं होते। अपीलांट द्वारा आवंटन से पूर्व जिला कलेक्टर भरतपुर से धारा 101 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इजाजत प्राप्त की गई थी। इसलिये पुराने आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा काबिजकाश्त है। विवादित आराजी में रेस्पोडेंट का कोई हित नहीं है और न ही उसका कब्जा है। रेस्पो0 सं.1 द्वारा आवंटित भूमि के सबंध में एक दावा बाबत् खातेदारी घोषणा व हुक्मईम्तनाईदवामी न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर के यहां विचाराधीन है। अपीलांट को विवादित आराजी का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण जांच करने के पश्चात् नियमानुसार किया गया था। अपीलांट ने आराजी फर्जी तरीके से आवंटित नहीं करवाई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत चलने योग्य नहीं था। आवंटन समिति द्वारा नियमानुसार किये गये आवंटन को दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने गैर कानूनी रूपसे निरस्त किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट सरकारी कर्मचारी है जो भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं होने से आवंटन का अधिकारी नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों तथा संलग्न दस्तावेज का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया। नकल आवंटन दिनांक 23–9–72 से यह स्पष्ट है कि अपीलांट दीपचंद पुत्र कजोडीलाल को खसरा नंबर 872 में 2 बीघा भूमि अन्य आवंटियों के साथ आवंटित की गई है। अपीलांट ने जिला कलेक्टर भरतपुर से आवंटन के संबंध में ली गई स्वीकृति की फोटो प्रति पेश की है। अपीलांट के द्वारा मूल प्रति अथवा प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। जमाबंदी 2020 में खसरा नंबर 872 / 42 रकबा 15 बीघा चराई के लिये अंकित है। जमाबंदी संवत् 2032–34 में खसरा नंबर 400, 401, 869 पर पांच्या पिसरान गिर्राज जाटव साकिन जाटोली रथभान गैर खातेदारी साल 9 दर्ज है। इंतकाल नंबर 81 में कॉलम 7 में दीपचंद पि0 कजोडी जाति मीना साकिन भरतपुर गैर खातेदारी साल 6 दर्ज है तथा कॉलम 9 में दीपचंद पिसरान कजोडी जाति जैन साकिन भरतपुर खातेदार दर्ज किया गया है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत डिस्पैच रजिस्टर की प्रति के अवलोकन से भी जाहिर है कि दिनांक 22–5–71 से क्रमांक 3091 से डिस्पैच नंबर शुरू किया गया है और 3099 के बाद सीधे ही डिस्पैच 4100 से 4104 दर्ज किया गया है तथा बीच के नंबर गायब है। जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में निष्कर्ष अंकित किया है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं आधारहीन है तथा विवादित नंबर 872 से अप्रार्थी / रेस्पोडेंट का कोई संबंध होना प्रमाणित नहीं है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि वक्त आवंटन अपीलांट दीपचंद राज्य कर्मचारी था जो कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत अपीलांट को किया गया आवंटन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित नहीं मानते हुये आवंटन आदेश दिनांक 23–9–72 बाबत् खसरा नंबर 872 रकबा 2 बीघा उपखंड अधिकारी भरतपुर वक्त आवंटन अपीलांट दीपचंद भूमिहीन कृषक की परीभाषा में नहीं आने से खारिज किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेश में ऐसी कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि दृष्टव्य नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत् अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	